निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

18—नोखा विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

बिहारीलाल वार्ड नम्बर 5 जम्भेश्वर चौक नोखा बीकानेर

भारतीय जनता पार्टी से खड़े किए गए है

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचत हो गए

रथान :- बीकानेर

तारीख :- 11-12-2018

(श्योर्गम वर्मा) रिटर्निंग ऑफिसर 18—नोखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C
(See Rule 64)
(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the legislative Assembly of Rajasthan from

18 - Nokha Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the representation of the people Act, 1951, read with rules 64 of the Conduct of Election Rules 1961, I declare that

Biharilal Ward No. 5 Jambheshwar Chowk Nokha Bikaner

sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognized / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place:-Bikaner Date:-11-12-18

(Sheoram Verma)
(SHEORAM NYERIWA)
Retygningskoffiseembb-Northuency
Assemblysionan Statistics Northal